कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ-5/1256/E-file 0327/2025/ दिनांक- ई साइन

प्रेषकः-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/155629/2022)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः-

A- Conditions which need to be complied prior to handling over of forest land by the State Forest Department

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रूपये 5839399/- गैर वनभूमि एवं दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में तैयार योजना की राशि रूपये 38435097/- ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/155479/2022 कैम्पा मद में दिनांक 15.03.2024 से एकजाई रूप से 04 प्रकरणों की जमा की जा चुकी है, जिसमें यह प्रकरण भी सम्मिलित है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण कराया जा चुका है। पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि 82.00 हेक्टेयर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 में अधिसूचित कराने की कार्यवाही प्रचलित है। अधिसूचित होने पर पृथक से प्रेषित की जावेगी।

4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 20456024/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 से जमा की जा चुकी है।

5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेण्ट वैल्यू, मार्ग के किनारे- किनारे रोपण की राशि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की समस्त राशियां कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 एवं 15.03.2024 से जमा कराई जा चुकी है।

6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, बालाघाट का प्रमाण पत्र क्रमांक/2190 दिनांक 08.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड है।

7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र क्रमांक/434 दिनांक 13.01.2025 में अधिरोपित शर्तों के पालन में 2 प्रतिशत प्रोजेक्ट कॉस्ट की राशि रू. 2622000/- मध्यप्रदेश टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी के खाते में दिनांक 11.04.2025 से जमा की जा चुकी है।

8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक के पत्र दिनांक 13.01.2025 में अधिरोपित अधोसंरचनाऐं निर्मित की जावेगी।

9- शर्त क्रमांक **(9 a)** के पालन में सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि रू. 10061076**/-** ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक **17.04.2025** से जमा किया गया है, रोड साइड प्लांटेशन स्कीम संलग्न है।

10- शर्त क्रमांक **(9** b**)** के पालन में ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक **17.04.2025** से जमा किया गया है।

11- शर्त क्रमांक **(10)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड किया गया है।

12- शर्त क्रमांक **(11)** के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की KML file e-green watch पोर्टल में ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक**/** FP/MP/ROAD/155479/2022 में अपलोड किया गया है**,** जिसका ID no. 53732 है।

13- शर्त क्रमांक **(12)** के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

14- शर्त क्रमांक **(13)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

B- Conditions which neet to be strictly complied on field after handling over of forest land to the User Agency by the Stae Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1- शर्त क्रमांक **(1)** के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2- शर्त क्रमांक **(2)** के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन मण डल अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

3- शर्त क्रमांक **(3)** के पालन में Additional NPV का वचनपत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

4- शर्त क्रमांक **(4)** एवं **(5)** के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

5- शर्त क्रमांक **(6)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा आवगत कराया है कि रोड सिंगल होने के कारण किनारे-किनारे वृक्ष लगे हुए है। रोड साइड प्लांटेशन की राशि आवेदक संस्थान से जमा कराई जा चुकी है।

6- शर्त क्रमांक **(7)** से **(16)** के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 05-06-2025
18:22:42

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)**,** बालाघाट वृत्त**,** बालाघाट**,** मध्यप्रदेश।

2- वन मण्डलाधिकारी**,** सामान्य वन मण्डल**,** दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।

3- महाप्रबंधक**,** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण**,** परियोजना क्रियान्वयन इकाई**,** आर.टी.ओ. ऑफिस के पास**,** सिविल लाईन**,** बालाघाट**,** मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1651 /तक/मप्रग्रासप्रा/2025 बालाघाट दिनांक 14/05/2025

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्।
ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155629/2022 एवं WL/MP/ROAD/468651/2024

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667,4668 भोपाल दिनांक 02.09.2024
2. वन मंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट का पत्र क्र. तकनीकी/2324 बालाघाट दिनांक 02.04.2025

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशो के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर बैंक द्वारा जारी UTR No. की प्रति एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्ते (भाग A अन्तर्गत 1 से 13 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 16) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया बोदालखा से धीरी मुरूम मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टयेर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 1653 /तक/मप्रग्रासविप्रा/2025 बालाघाट, दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपीः-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी उपवनमंडल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

15/05

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Bodalkha to Dhiri Murum

Proposal No. - FP/MP/Road/155629/2022 **16.65 Hact.**

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Dapartment.**	
1	Cost of compensatory afforestation on the **33.30 ha (Out of 82.00 ha) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land** at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land againgst encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत 04 प्रकरण हेतु 40.59 हेक्टेयर की राशि रू. 58,39,399 एवं वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये 3,84,35,097/– ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/155479/2022 में दिनांक 15.03.2024 को ऑनलाईन केंपा मद में जमा करा दी गई है। (संलग्न)
2	**The Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.**	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण करा दी गई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश क्रं. रा.प.क्र./0033/अ–59/वर्ष 2022–23 ग्राम घुम्मुर, प.ह.नं. 63 द्वारा दिनांक 12.12.2022 को वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। **(खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।)**
3	**The Chhote Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, A Copy of PF/RF notification may be submitted with Stage-I compliance report.**	वन विभाग से संबंधित है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.65 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन में NPV की राशि रू. 2,04,56,024.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रू. 1,00,61,076.00 कुल राशि रू. 3,05,17,100.00 ऑनलाईन केंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। **(संलग्न – चालान की प्रति)**

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the cocreneded District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। **(छायाप्रति संलग्न है।)**
7	**In view of guideline dated 08/07/2024 at Para 12.5 the portion of 0.117 ha for which proposal has been submitted for necessary wildlife clearance, forest clearance will be accorded only after recommendation of NBWL. Further no working permission after Stage-I will be admissible in the proposal to avoid fait accompil situation.**	वाईल्ड लाईफ की स्वीकृति हेतु प्रकरण कमांक WL/MP/Road/468651/2024 अंतर्गत 16.65 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने बाबत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) भोपाल के पत्र क्रं.434 भोपाल दिनांक 13.01.2025 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के तहत कॉरीडोर के विकास हेतु 2 प्रतिशत राशि रू. 26,22,000.00 म.प्र. टाईगर फांउडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में जमा कर पालन प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रं. 1048 दिनांक 24.04.2025 को प्रेषित किया गया।
8	**The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.**	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9 a)	**The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.**	शर्त के पालन में NPV की राशि रू. 2,04,56,024.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रू. 1,00,61,076.00 कुल राशि रू. 3,05,17,100.00 ऑनलाईन केंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न – चालान की प्रति)
9 b)	**Cost of the same shall be tranferred in CAMPA fund via online/e-protal.**	ऑनलाईन केम्पा मद में जमा की गई है।
10	**The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.**	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। **(वचन पत्र संलग्न है।)**
11	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तो A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
B	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **33.30 ha Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 25/1 क /1,Village Gummur, Tehsil- Birsa, District- Balaghat** at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non- native species shall be	राशि वनमंडल को चालान द्वारा केम्पा मद में जमा की गई है। शेष वनमंडल से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। **(वचन पत्र संलग्न है)**
4	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated **277 numbers/any minimum** number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency wtih the State Forest Department and State Forest Department shall	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। **(वचन पत्र संलग्न है)**
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	**User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.**	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे–किनारे वृक्ष लगे हुए है। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है। रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
7	**Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.**	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

9	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co - terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	
1	FP/MP/ROAD/155479/2022 Benegaon sitaper nandora Borban road construction under RCPLWEA scheme	ROAD1554792022150	61155479150	14-Feb-24	CA: 5839399/-, Addl CA: 38435097/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 8956422/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 53230918/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 04-Mar-24 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 05-Mar-24 Transaction Date : 15-Mar-24	Generated Challan

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्ररि. क्रियान्वयन ईकाई क्रं.1 बालाघाट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11090887876

ग्राम: घुम्पुर			पटवारी हल्का: घुम्पुर		तहसील: बिरसा				जिला: बालाघाट		वर्ष, 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक. की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हैक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रकार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी जानकारी 2. भूमि पर स्थित वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम क्रमांक (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1569889642 7DQB82DDKBDAH0	25/1/1/1/2 (S)		82.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						प्रकरण क्र.0661/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 18/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.25/1 का/1 से 25/1/1/1 में परिवर्तित। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0033/अ-58/2022-23, आदेश दि. 12/12/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। सरकार बड़े झाड़ का जंगल, राजस्व

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्र. 1 बालाघाट

लोक सेवा केन्द्र बालाघाट (म.प्र.)

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.11 16:42:29 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11090887876

कार्यालय महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.–1, बालाघाट

फोननं. – 07632– 240334,E-mail - gm_bgtpiu1@rediffmail.com

ज्ञापन क्रमांक /लेखा./2025 952

प्रति

बालाघाट दिनांक 11 /03/ 2025

शाखा प्रबंधक
सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा–बालाघाट (म.प्र.)

विषय – Ad-HOC CAMPA मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत्।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत Ad-HOC CAMPA के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमांक 162082 दिनांक 11.04.25 राशि रू. 8,75,86,407.00 (आठ करोड़ पछहत्तर लांख छियासी हजार चार सौ सात मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No.छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरणनिम्नानुसारहैः–

.N	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155629680	3,05,17,100	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2			1507661155398174	1,28,31,373	
3			1507661155493725	1,98,32,304	
4			1507661156164636	2,44,05,630	
			योग	8,75,86,407	

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण
परियोजनाक्रियान्वयनइकाई. क्र.–1, बालाघाट

TRAN DATE:17042025

REPORT-ID: IF0000 CENTRAL BANK OF INDIA

SENDER IFSC:CBIN0283312

BRANCH: 03312 N E F T - T R I C K L E F E E D T R A N S A C T I O N S

CHECKER: 0054874

MAKER: 0054874

SENDER-AC-NO	AMOUNT	BENEFICIARY-AC-NO	BENEFICIARY-NAME	SENDER-NAME	RECEIVER-IFSC	COMMISSION	SERVICE TAX	RESPONSE
3041271029	24405630.00	1507661156164636	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00	UTR CBINN62025041710840555
3041271029	30517100.00	1507661155629680	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00	UTR CBINN62025041710840655
3041271029	12831373.00	1507661155398174	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00	UTR CBINN62025041710840755
3041271029	19832304.00	1507661155493725	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00	UTR CBINN62025041710840855

TOTAL NO. OF TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

SUCCESSFUL TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

3312

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–1, बालाघाट
फोन नं. 07632 240334 mail [illegible]

पत्र क्रमांक / लेखा / 2025 [illegible] बालाघाट दिनांक 11 / 04 / 2025

प्रति

शाखा प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- M.P.Tiger Foundation Society मद में राशि NEFT/RTGS करने बाबत।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत M.P.Tiger Foundation Society के निम्नलिखित खाता क्रमांक मे राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमांक 162081 दिनांक 11.04.25 राशि रू. 74,73,420.00 (चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No.छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरणनिम्नानुसारहैः–

S.No	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SOCIETY	SBIN0001308	10571048460	26,22,000	बोदालखा से घीरीमुरूम State Bank Of India T.T. Nagar, Main Branch, Bhopal
2				28,13,220	
3				10,92,000	
4				9,46,200	
			योग	74,73,420	

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण
परियोजनाक्रियान्वयनइंकाई क्र.–1, बालाघाट

CBINR 52025041510015621

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा **"बोदादलखा से धीरी मुरूम निर्माण कार्य"** हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के **वन खंड क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B के वन क्षेत्र में 16.65 हेक्टेयर** वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।

2- ग्राम पंचायत खुर्सीटोला, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नही किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "बोदादलखा से धीरी मुरूम तक सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।

4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	कलेक्टर जिला बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

E:\2020-21\Vanmitra 20-20\ज्ञापन.doc

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

****

No....2190...

Dated...8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA,for short) on the forest land proposed to be diverled for non-forest purposes read with MoEF'sletter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain reiaxation in respect of lioner projects, it is certified that **16.65 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Bodadalkha to Dhirri murum Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji **Tah./Block Lanji, Village- Khursitola in Compartment No. 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B Total Area 16.65 Hec. in** Forest land village(s) in **Lanji** tehsils.

It is further certified that:

(ff) The compltet process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **16.65 hectares** of forest land proposed for diversion.A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s)and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02.**

(gg)The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complaeted and the Gram Sabhas have given their consent. to it;

(hh)(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:

(Dr. Girish Kumar Mishra)
Signature
COLLECTOR
(full name and official seal of the District Collector)
BALAGHAT

—: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरूम मार्ग के **पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B में 16.65 हेक्टेयर** प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरूम मार्ग के पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B में 16.65 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: न्युनतम वृक्षों की क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वोदालखा से धीरी मुरूम मार्ग के **पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B** में **16.65 हेक्टेयर** प्रस्तावित वन भूमि में 277 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। आवेदक विभाग न्युनतम वृक्षों की कटाई के लिए वचनबद्ध है। सड़क निर्माण के दौरान प्रभावित वृक्षों के अतिरिक्त कोई भी वृक्ष नही काटे जावेगें। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / वन्यजीव / व.त.अ.–1 / 27.09 / 434 भोपाल, दिनांक 13/01/2025

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई–1, बालाघाट

विषय :– **बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) तहत कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग लम्बाई 18.50 कि.मी. रकबा 16.65 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई–1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने की वन्यप्राणी अनुमति।**

संदर्भ :– परिवेश पोर्टल से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक WL/MP/ROAD/468651/2024

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) तहत कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग लम्बाई 18.50 कि.मी. रकबा 16.65 हैक्टेयर वनभूमि को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग करने की वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ था।

उक्त प्रस्तावानुसार दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमंडल के अंतर्गत टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र में कक्ष क्रमांक 327, 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341ए एवं 341बी में लम्बाई 18.50 कि.मी. में रकबा 16.65 हैक्टेयर वनभूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना में 277 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि दक्षिण बालाघाट वनमण्डल को उपलब्ध कराने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की कुल लागत रूपये 1311.00 लाख दर्शायी गई है।

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र. संबंधित वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी एवं आवेदक विभाग की मुख्यालय स्तर पर संयुक्त बैठक दिनांक 09.09.2024 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तावित मार्ग का पुनः स्थल निरीक्षण कर क्षेत्र में पाये जाने वाले अधिकतम ऊंचाई के वन्यजीवों के अनुसार 06 अण्डरपास / बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये गये हैं। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जावे।
2. मार्ग में जहां ह्यूम पाइप प्रस्तावित किये गये हैं वहां न्यूनतम 01 मीटर ऊंचाई के बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये जायेंगे।
3. प्रभावित वृक्षों में से शोल्डर पर स्थित आवश्यक वृक्षों को ही काटते हुए न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु प्रस्तावित किया जावे।
4. वनक्षेत्र में निहित लम्बाई के लिए वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान प्रस्तुत किया जावे।
5. प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जस्टिफिकेशन एवं मिटिगेशन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावे।

संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार प्रस्तावित मार्ग सुदूर वनक्षेत्र में एकल मार्ग है। जिसमें 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण एवं 1.87 मीटर चौड़ाई में मार्ग में दोनों तरफ शोल्डर्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित वनक्षेत्र है, जहां बाघ, तेन्दुआ, भालू, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, सियार, चीतल, सांभर, नीलगाय, कोटरी, बायसन, मोर, लंगूर सहित अन्य वन्यजीव पाये जाते हैं। प्रस्तावित मार्ग से सुदूर वनक्षेत्र में स्थित 03 ग्रामों की 493 जनसंख्या को आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मार्ग में दिन में 04 से 06 दोपहिया एवं 01 से 02 चार पहिया वाहनों का आवागमन होता है, जो अत्यंत ही कम है। इस मार्ग में विगत 05 वर्षों में वाहनों से वन्यजीवों की दुर्घटना के एक भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं। प्रस्तावित मार्ग भारत सरकार की RCPLWEA योजनान्तर्गत नक्सल समस्या के उन्मूलन हेतु प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण से पुलिस विभाग एवं वन विभाग की गश्ती, सुदूर वनक्षेत्र में निवासरत् ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा एवं उन्हे शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर उनके जीवन-स्तर में सुधार किया जाना है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यजीवों को दृष्टिगत रखते हुए न केवल कॉरीडोर वनक्षेत्र में बल्कि प्रभावित समस्त वनक्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार निम्नानुसार कुल 20 अधोसंरचनायें प्रस्तावित की गई हैः-

क्र.	चैनेज (मीटर में)	अधोसंरचना	लम्बाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)
1	700	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
2	1320	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
3	3500	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
4	4400	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
5	5600	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
6	6300	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
7	7100	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
8	8400	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
9	8900	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
10	9200	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
11	10800	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
12	11390	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
13	11710	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
14	13990	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
15	15510	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
16	15910	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
17	16500	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
18	17700	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
19	18000	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4
20	18400	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	6	4

इसके अतिरिक्त मार्ग में 36 स्पीड ब्रेकर एवं 67 साइन बोर्ड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में स्थित कच्चा मार्ग समतल एवं वर्तमान स्थित धरातल से मार्ग 32 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होने से प्रस्तावित 20 एनीमल पैसेज/अधोसंरचनाओं के अतिरिक्त अन्य पैसेज की आवश्यकता संभव नहीं है, का लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव एवं पैसेज प्लान को दृष्टिगत रखते हुए वन्यजीव पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़ने की नगण्य संभावना के दृष्टिगत निम्न शर्तों के अधीन अनुशंसा की गई:—

1. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना लागत की 02 प्रतिशत की राशि म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु जमा करायी जावेगी।
2. नियमानुसार एन.पी.व्ही. एवं अन्य शुल्क देय होगा।
3. प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित स्थलों/चैनेज/कि.मी. पर ही अधोसंरचनाओं का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा किया जायेगा एवं मार्ग का रि—एलाइमेंट नहीं किया जायेगा।
4. वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
5. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नही किया जायेगा।
6. निर्माण सामग्री वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।
7. आवेदक संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित क्षत्र प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
8. आवेदक संस्था एवं संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में Compliance Report प्रस्तुत की जावेगी।

2. उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

"बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) तहत कान्हा—नागझीरा—ताडोबा—इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग लम्बाई 18.50 कि.मी. रकबा 16.65 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई—1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने की संबंधी प्रस्ताव की मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत उक्त अधिरोपित शर्तों एवं प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित 20 स्लेब कल्वर्ट, 36 स्पीडब्रेकर एवं 67 साइन बोर्ड निर्माण किये जाने की शर्त पर अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव की राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आगामी कार्यवाही की जावे।"

3. प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.5.48 में विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

***Decision Taken:** After discussions, the Standing Committee decided to approve the proposal subject to the following conditions:*

1. *The User Agency shall implement the animal passage plan submitted along with the proposal.*
2. *No labourer will be allowed to stay inside the forest area.*
3. *Construction work will not be permitted after sun set and before sunrise.*
4. *All construction materials shall be carried out from the forest area.*
5. *User Agency, in consultation with the Forest Department, shall construct animal passages, speed breakers / rumble strips and install warning signboards at areas sensitive for wildlife crossings. Vegetation shall be cleared to improve visibility along the road to prevent accidents of animals but no tree felling is permitted.*
6. *Existing drainage culverts shall be retrofitted to facilitate wildlife crossings by animals.*
7. *The width of road shall be at par with as prescribed for the forest roads. Construction work shall be permitted during daytime.*
8. *No labour camps shall be established inside the tiger reserve. Construction materials shall be procured from outside the Tiger Reserve.*

9. *Construction debris shall be disposed away from the Tiger Reserve by the User Agency.*
10. *The alignment of the road and construction activities shall not disrupt any natural water channel.*
11. *CWLW, Madhya Pradesh shall monitor the compliance of the conditions stipulated in this report at various phases of the project implementation.*
12. *An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government*

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया है :–

"In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL the parties shall abide with all the conditions imposed therein."

5. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में की गई अनुशंसाओं के अनुसार बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ***(RCPLWEA)*** तहत कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग लम्बाई 18.50 कि.मी. रकबा 16.65 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई–1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव की निम्न शर्तों के अधीन सैद्धांतिक वन्यजीव अनुमति प्रदान की जाती है:–

5.1. राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.5.48 पर लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जावे।

5.2 प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु कॉरीडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।

5.3. कॉरीडोर/वन क्षेत्र में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नही किया जायेगा।

5.4. निर्माण सामग्री कॉरीडार क्षेत्र/वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।

5.5. संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी–नालों से अवैध रेत उत्खनन/वृक्ष कटाई तथा वन संपदा/वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास को नुकसान पहुँचाना/आग जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।

5.6. निर्माण के दौरान श्रमिक कैम्प कॉरीडोर क्षेत्र/वनक्षेत्र की सीमा में न लगाया जाये।

5.7. श्रमिक कैम्प कॉरीडोर/वन क्षेत्र की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि.मी. की दूरी पर लगाया जाये तथा रात्रि के दौरान निर्माण क्षेत्र में वाहन एवं श्रमिकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

5.8 मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार 277 वृक्षों को काटने के अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष को काटा/नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा। परियोजना हेतु कम से कम वृक्षों की कटाई की जावे।

5.9 मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए शमन उपायों के अंतर्गत 20 अधोसंरचनाओं एवं 36 स्पीड ब्रेकर एवं 67 साइन बोर्ड निर्माण किया जावे।

5.10 आवेदक संस्था यह सुनिश्चित करें कि वन्यजीव कॉरीडोर क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य की अवधि न्यूनतम रखी जाये क्योंकि लम्बे समय तक निर्माण कार्य जारी रहने से क्षेत्र में वन्यजीवों का रहवास/आबादी एवं आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

5.11 आवेदक संस्था को संबंधित वनक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना होगा तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित/वन क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

5.12. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रेक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।

5.13. प्रकरण में यदि प्रस्तावित वनभूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत इसकी पृथक से अनुमति प्राप्त की जावे तथा उक्त अनुमति प्राप्त होने के पूर्व निर्माण कार्य न किया जावे।

5.14. निर्माण के दौरान कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या-क्या सावधानियाँ रखना है, इसके संबंध में जागरूक करा दिया जाये।

5.15 उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं आवेदक विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5.16 आवेदक संस्था एवं संरक्षित क्षेत्र/वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में वार्षिक पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत की जावेगी।

आवेदक संस्था द्वारा उक्त दर्शित शर्त क्रमांक-5.2 के अनुसार राशि जमा कराये जाने तथा अन्य शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत, प्रकरण में पृथक से अंतिम वन्यजीव अनुमति जारी की जा सकेगी। अंतिम अनुमति के पूर्व कार्य प्रारंभ न किया जावे। उक्त कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति की सूचना तथा उपरोक्त शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

APCCF (LM)

13/1/25

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

PCCF & HoFF
MP, BHOPAL
20 JAN 2025

पृ. क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/435

भोपाल, दिनांक 13/01/2025

प्रतिलिपिः-

1. उप वन महानिरीक्षक, (वन्यप्राणी डिविजन), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छठवीं मंजिल, वायु विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट वृत्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तो के क्रियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता हैं। प्रकरण में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि एवं नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक विभाग/संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तो का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

SH. P.A. TO P.C.C.F. & HoFF
No. 526
Dt. 20-1-25
MADHYA PRADESH, BHOPAL

कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र.) भोपाल
आवक क्र. 220
दिनांक 23-1-25

D:\DM Sec\NEW Wildlife ...

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

▽ **Help**

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Bhopal **Select State :** Madhya Pradesh

Select User Agency : Select

Payment Status : ○ **Paid** ○ **Unpaid** ◉ **All**

Enter value for Search : 155629

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/155629/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/155629/2022) Bodalkha to Dhiri murum Under RCPLWEA Scheme	ROAD1556292022680	30 Aug 2024	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 20456024/- , **Road Side Plantation :** 10061076/- **Total :** 30517100/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 07 Apr 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Apr 2025 **Transaction Date** : 17 Apr 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/060420251315581784_FPMPROAD1556292022_User_ Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD15562920

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त,
बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, cfbghat@mp.gov.in दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268

–::आदेश ::–

आदेश क्रमांक/व्यय.आ./ 114 बालाघाट, दिनांक 28/3/2025

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/1194/191/2022/9 नियम/चार दिनांक 14.07.2022 (बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स वाल्यूम–2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/6–एम.पी.बी.010/2023–बी.एचओ/80854 दिनांक 30.08.2024 से प्राप्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155629/2022 में शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र A(9) के अनुपालन में रोड साईड प्लांटेशन के एवंज में अन्यत्र बिगडे वनक्षेत्र में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 18.000 हेक्टेयर असिंचित वृक्षारोपण कार्य की वर्ष 2025–26 से (ग्यारह वर्षीय) तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

कार्य का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य नाम	स्थल	रकबा हे.	प्राक्कलन कुल राशि
1	हट्टा सामान्य	प्रधान मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत उपयुक्त स्थल न होने के कारण अन्यत्र वनक्षेत्र में वृक्षारोपण	बीट सुसवा RDF कक्ष पी. 702	18.000	10061076/–

1 कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें।

2 स्वीकृत प्रोजेक्ट रिर्पोट राशि का व्यय स्वीकृत नार्मस , जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भली–भांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।

3 उपरोक्त कार्य **CAF Rules** 2018 के नियमों का पालन करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।

4 कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

5 वृक्षारोपण पंजी, माप पुस्तिका (M.B.) आदि अभिलेख विधिवत संधारित किये जाये।

6 कैम्पा विंग के समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

7 स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक .... अ.क्र. .... इन्द्राज किया गया।

(ए.पी.एस.सेंगर)
भा.व.से.
मुख्य वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/ 1621 बालाघाट, दिनांक 28/03/2025

प्रतिलिपि :– वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय.आ./473 दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

वनमंडल अधिकारी
क्र. 791
दि. 02/04/2025

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

रोड साईड प्लांटेशन के एवज में वन क्षेत्र में वृक्षारोपण

वन परिक्षेत्र :– वन परिक्षेत्र हट्टा (सामान्य)
वन मण्डल :– दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट

परियोजना का नाम :–

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग निर्माण लंबाई 18500 मीटर दक्षिण बालाघाट की 16.650 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक– (FP/MP/ROAD/155629/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति 6–एमपीआर 010/2023 बीचओः 80854 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त – (3.5) के अनुपालन मे The User Agency shall submit road side Plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the user Agency.) के पालन में हट्टा (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम गुजरने वाले मार्ग के दोनों ओर रोड साईड प्लांटेशन स्कीम के तहत रोड साईड वृक्षारोपण हेतु भूमि न होने के कारण उसके बदले में वनक्षेत्र वन कक्ष क्र. पी 702 में रकबा 18.000 हे. में प्लांटेशन स्कीम

आवेदक :–म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र.

टीप :– रोड़ साईड प्लांटेशन हेतु आवश्यक स्थल चयन करते समय कोई भी उपयुक्त स्थल परिक्षेत्रांतर्गत नहीं मिलने के कारण वनक्षेत्र में 18 हेक्टेयर रोपण लिया गया है।

परिक्षेत्र का नाम	:-	हट्टा सा. परिक्षेत्र	
बीट का नाम	:-	सुसवा	
प्लांटेशन स्कीम	:-	आर.डी.एफ. वनक्षेत्र में वृक्षारोपण	
प्लांटेशन रकबा	:-	18 हे.	
प्रस्तावित प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि	:- रू0	10061076	लाख

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा सा0 परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

प्लांटेशन हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप–

भाग – 01 सामान्य विवरण

1.	**परियोजना का विवरण**		
अ.	परियोजना का नाम	:–	बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुकम मार्ग निर्माण लंबाई 18600 मीटर दक्षिण बालाघाट की 16.650 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक–(FP/MP/ROAD/155629/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति 6–एमपीआर 010/2023 बीभओ 80854 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त –(3.5) के अनुपालन मे The User Agency shall submit road side Plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the user Agency.) के पालन में हट्टा (सा) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुल्क गुजरने वाले मार्ग के दोनों ओर रोड साईड प्लांटेशन स्कीम के तहत रोड साईड वृक्षारोपण हेतु भूमि न होने के कारण उसके बदले में वनक्षेत्र वन कक्ष क्र. पी 702 में रकबा 18.000 हे. में प्लांटेशन स्कीम आवेदक :–म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र. **टीप :– रोड साईड प्लांटेशन हेतु आवश्यक स्थल चयन करते समय कोई भी उपयुक्त स्थल परिक्षेत्रांतर्गत नहीं मिलने के कारण वनक्षेत्र में 18 हेक्टेयर रोपण लिया गया है।**
ब.	भारत सरकार का अनुमोदन	:–	–
2	जिला	:–	बालाघाट
3	वनमण्डल	:–	दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट
4	परिक्षेत्र	:–	हट्टा सा. परिक्षेत्र
5	तहसील	:–	बालाघाट
6	विकासखण्ड	:–	किरनापुर
7	विधानसभा क्षेत्र	:–	लांजी
8	ग्राम पंचायत	:–	सुसवा
9	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:–	
10	बीट	:–	सुसवा
2	**स्थल विशेष जानकारी**	:– :–	
1	वन सुरक्षा वनसमिति	:–	मरकापुर
2	वनखण्ड एवं कक्ष कमांक/राजस्व	:–	पी 702
3	स्थल का कुल क्षेत्रफल हे0	:–	16.650 हे. बिगड़े वनो का सुधार
4	कार्य वृत्त	:–	
5	उपचार श्रेणी /पातन श्रेणी	:–	सुसवा
6	उपचार इकाई /कूप कमांक एवं कुयु वर्ष	:–	RDF (702 PF)
7	स्थल की परिक्षेत्र बालाघाट सा. मुख्यालय से दूरी	:–	22 कि.मी.
8	कक्ष का पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी		

वर्ष	योजना का क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
–	–	–

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा सा. परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

3. <u>उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)</u>

(ए.) टोपोग्राफी Topography :- समतल
(बी.) एस्पेक्ट Aspect :- चारों ओर
(सी.) ढलान Slope :- दक्षिण / पश्चिम
(अ.) पानी निकासी :- ठीक
(ब.) भूक्षरण :- नगण्य
(डी.) चट्टानों का विवरण :- –
(ई.) मिट्टी का प्रकार :- मुरमी एवं लाल / काली मिट्टी
(एफ.) औसत वार्षिक वर्षा :- 937.5 mm
(जी.) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे0) :- 12 हे.
(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हे0) :- 6 हे.
(आई.) पथरीलि मिट्टी :- –

4. <u>वनक्षेत्र का विवरण</u>

(ए.) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :- वन क्षेत्र

<u>वृक्षारोपण की जानकारी</u>

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष
साजा, बांस, बेल	–	–

(बी.) साईड क्वालिटी घनत्व :- Less then 04
(सी.) पूर्ण वन वर्धक (Root Stock development) का क्षेत्र :- –

<u>ठूंठ एवं गोलाई की गणना</u>

प्रजाति	20 से.मी. तक की आड़ी टेढ़ी पौध	21 से 30 से.मी.	31 से 40 से.मी.	41 से 50 से.मी.	51 से 60 से.मी.	61 से 90 से.मी.
साजा तेंदिया धावड़ी रोहन	-	-	-	-	-	-
योग :-	-	-	-	-	-	-

(डी.) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र :- –
(ई.) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- 8 हे.
(एफ.) खरपतवार (मुख्यतः लेंटाना) :- 10 हेक्ट.
(जी.) वर्तमान में वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- –
(एच.) चरागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- निरंक
(आई.) विकृत बांस का क्षेत्र :- निरंक
(जे.) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं :- निरंक
(के.) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) :- निरंक
(एल.) जैविक दबाव :-

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	–	√	–
चराई	–	√	–
मानव	–	√	–

5./1. <u>योजना का उद्देश्य –</u> प्लांटेशन
2. लंबाई :- –

6. <u>उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण</u>

कट बैंक का क्षेत्रफल :- –
वृक्षारोपण का क्षेत्र :- –
भू संरक्षण कार्य का क्षेत्र :- –
लेण्टाना :- 10 हेक्ट.

7. <u>रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे</u> :- 90 कि.मी.
8. <u>रोपणी से रोपण स्थल की दूरी</u> :- 90 कि.मी.
(ए.) ट्रक / ट्रेक्टर द्वारा :- 90 कि.मी.
(बी.) सिर बोझ द्वारा :- 1.500 कि.मी. –

Scanned with OKEN Scanner

असिंचित

योजना का तृतीय वर्ष 2027–28 मजदूरी दर 531 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	900	पौधे	10.00	प्रति पौधा		9000
2	पौधों का परिवहन						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा(11 से 20 कि.मी.)	900	पौधे	0.60	प्रति सैकड़ा	3.19	2867
3	चैनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					19	10089
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	9000	पौधे	1.25	सैकड़ा	6.64	59738
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	5.31	47790
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	5.31	47790
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	9000		0.60	सैकड़ा	3.19	28674
8	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1194.75	18519
9	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	24	माह	26	प्रति माह दिवस	13806	331344
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	9000	पौधे	540	दिवस		286740
					योग:–		842551
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि कय)	LS					16851
					कुल योग:–		859402

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

भाग – 2
(प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग निर्माण लंबाई 18500 मीटर दक्षिण बालाघाट की 16.650 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक–(FP/MP/ROAD/155629/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति 6–एमपीआर 010/2023 बीचओ: 80854 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त – (3.5) के अनुपालन मे The User Agency shall submit road side Plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the user Agency.) के पालन में मार्ग किनारे रोपण योजना के एवज मे स्थल चयन करते समय कोई भी उपयुक्त स्थल परिक्षेत्र अन्तर्गत नही मिलने के कारण हट्टा परिक्षेत्र सामान्य के परिक्षेत्र सहायक वृत्त हट्टा बीट सुसवा कक्ष क्र. पी 702 रकबा 18.000 हे. क्षेत्र मे वृक्षारोपण किये जाने हेतु स्थल का निरीक्षण एवं क्षेत्र सत्यापन किया गया एवं निरीक्षण के समय प्रस्तावित प्रस्ताव मे उल्लेखित उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। प्रस्तावित क्षेत्र पौधा रोपण के योग्य एवं उपयुक्त क्षेत्र है, तथा प्रोजेक्ट रिपार्ट का परीक्षण किया गया तकनीकी स्वीकृति योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक – 07.03.2025

निरीक्षण दिनांक – 07-03-2025

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

उपवनमंडलाधिकारी
बालाघाट (सा.) उपवनमंडल

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल बालाघाट

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/.................. दिनांक .... द्वारा जारी की गई है।

मुख्य वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

सिंचाई का विवरण

(ए.)	जल स्त्रोत	:-	–
(बी.)	वृक्षारोपण से दूरी	:-	–
(सी.)	सिंचाई प्रकार	:-	–
(डी.)	बिजली उपलब्धता	:-	–

10. प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या

(ए.)	प्रति हे.सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:-	0
(बी.)	क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से0मी0 से अधिक)	:-	0
(सी.)	क्षेत्र से सीधें एवं स्थापित पौधें (20 से0मी0 गोलाई से कम)	:-	0
(डी.)	रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधे की संख्या	:-	10800
		कुल :-	10800

11. योजना की अवधि :- ग्यारह वर्षीय

12. योजना पर होने वाला संभावित व्यय :- 10061076 लाख रू0

(विस्तुत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से अन्य व्यय)

प्रति हेक्टेयर व्यय :- 558949 लाख रू0

अन्य व्यय :- –

13. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण

अ	योजना	:-	निरंक
ब	वर्ष	:-	निरंक
स	क्षेत्रफल	:-	निरंक

द प्रजाति मिश्रित

अनु.	प्रजाति	पौधे संख्या
–	–	–

ई	वृक्षारोपण असफलता का कारण	:-	निरंक
एफ.	वृक्षारोपण उल्लेख विवरण	:-	निरंक
14.	गठित समिति का प्रकार	:-	
15.	समिति का मुख्यालय	:-	वन सुरक्षा समिति मरकापार
16.	समिति में सम्मिलित गांव	:-	सुसवा
17.	समिति के अध्यक्ष का नाम	:-	श्री लच्छीराम बाहे
18.	परिसर रक्षक /वन रक्षक का नाम	:-	श्रीमती एकता घोरमारे (वनरक्षक)
19.	परिक्षेत्र सहायक का नाम	:-	श्री योगराज पारधी (कार्यवाहक वनपाल)
20.	समिति के सदस्यों/ग्रामीणों की जनसंख्या जानकारी	:-	

वर्ग	पुरूष	महिला	अन्य	योग
अ0ज0जा0	351	296	-	647
अ0जा0	102	81	-	183
अ0पि0वर्ग	230	148	-	378
सामान्य	-	-	0	0
योग –	-	-	-	1208

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा सा0 परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

लाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग निर्माण लंबाई 18500 मीटर दक्षिण बालाघाट की 16.650 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक– (FP/MP/ROAD/155629/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति 6–एमपीआर 010/2023 बीचओ: 80854 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त – (3.5) के अनुपालन मे The User Agency shall submit road side Plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the user Agency.) के पालन में हट्टा (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम गुजरने वाले मार्ग के दोनों ओर रोड साईड प्लांटेशन स्कीम के तहत रोड साईड वृक्षारोपण हेतु भूमि न होने के कारण उसके बदले में वनक्षेत्र वन कक्ष क्र. पी 702 में रकबा 18.000 हे. में प्लांटेशन स्कीम

आवेदक :–म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र.

टीप :– रोड़ साईड प्लांटेशन हेतु आवश्यक स्थल चयन करते समय कोई भी उपयुक्त स्थल परिक्षेत्रांतर्गत नहीं मिलने के कारण वनक्षेत्र में 18 हेक्टेयर रोपण लिया गया है।

बीट का नाम – सुसवा

रकबा 18 हे.

कक्ष क. P702

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का प्रथम वर्ष 2025–26

असिंचित

मजदूरी दर 456

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	18.000	हेक्टेयर	0.45	प्रति हे0	205.20	3694
2	क्षेत्र सफाई (हे0)	18.000	हेक्टेयर	4.00	प्रति हे0	1824	32832
3	लेटाना उन्मूलन कार्य (विरल क्षेत्र)	10.000	हे.	8.00	प्रति हे0	3648	36480
4	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 3mm चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही RCC पोल 2.5 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढो मे 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। (1300 र.मी.)	1700	RMT	-	-	-	1607421
5	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	9000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	1	10260
6	रोपण हेतु गडढा खोदाई संख्या						
	Teak (2x2 mt. Size 30x30x30 cm.	1800	गड्डे	3	प्रति सैकड़ा	14	24624
	Other (4x4 mt. Size 45x45x45 cm.	7200	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	23	164160
7	गड्ढो मे मिट्टी बदलने हेतु कय (आयतन का 30 प्रतिशत)	208.98	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	684	142942
8	गोबर खाद डालने हेतु कय,(आयतन का 15 प्रतिशत)	105.12	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	1368	143804
9	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एव आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढों में डालना	7200	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	6.8	49248
10	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						0
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1026.00	15903
11	सुरक्षा समिति द्वारा 01 श्रमिक 12 माह	0	माह	26	प्रति माह दिवस	11856	0
12	अन्य व्यय सूचना बोर्ड, पैंट चूना आदि						35000
13	Fixed camra with memory card (for monitoring, recording and growth of plantation)						375000
						कुल योग	2641369

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

असिंचित

योजना का द्वितीय वर्ष 2026–27 मजदूरी दर 492 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	9000	पौधे	10.00	प्रति पौधा		90000
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	1800	पौधे	10.00	प्रति पौधा		18000
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						0
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा(11 से 20 कि.मी.)	9000	पौधे	0.60	प्रति सैकड़ा	2.95	26568
3	रोपण						
	30x30x30 cm.	1800	पौधे	1.50	प्रति सैकड़ा	7.38	13284
	45x45x45 cm.	7200	पौधे	1.80	प्रति सैकड़ा	8.86	63763
4	प्रथम निदाई						
	पौधो में	9000	पौधे	1.25	सैकड़ा	6.15	55350
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	4.92	44280
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	4.92	44280
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	9000		0.60	सैकड़ा	2.95	26568
8	आतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1107.00	17159
9	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 9 माह	18	माह	26	प्रति माह दिवस	12792	230256
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	9000	पौधे	540	दिवस		265680
					योगः–		895188
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि कय)	LS					17904
					कुल योगः–		913091

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

असिंचित

योजना का चतुर्थ वर्ष 2028–29 मजदूरी दर 573 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	900	पौधे	10.00	प्रति पौधा		9000
2	पौधो का परिवहन						0
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा(11 से 20 कि.मी.)	900	पौधे	0.60	प्रति सैकड़ा	3.44	3094
3	प्रथम निदाई						
	पौधो मे	9000	पौधे	1.25	सैकड़ा	7.16	64463
4	द्वितीय निदाई						
	पौधो मे	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	5.73	51570
5	तृतीय निदाई						
	पौधो मे	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	5.73	51570
6	खाद एव कीटनाशक दवा डलवाई	9000		0.60	सैकड़ा	3.44	30942
7	आतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1289.25	19983
8	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	24	माह	26	प्रति माह दिवस	14898	357552
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	9000	पौधे	540	दिवस		309420
					योग:–		897594
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)	LS					17952
					योग:–		915546

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

असिंचित

योजना का पंचम वर्ष 2029-30 मजदूरी दर 619 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चैनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					363	224697
2	प्रथम निंदाई						
	पौधो में	9000	पौधे	1.25	सैकड़ा	7.74	69638
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधो में	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	6.19	55710
4	तृतीय निंदाई						
	पौधो में	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	6.19	55710
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	9000		0.60	सैकड़ा	3.71	33426
6	आकस्मिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौड़ी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1392.75	21588
7	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	24	माह	26	प्रति माह दिवस	16094	386256
					योग:-		847024
8	अन्य व्यय	LS					16940
					योग:-		863965

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

योजना का षष्ठम वर्ष 2030–31 असिंचित

मजदूरी दर 669 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधों मे						
		6500	पौधे	1.25	सैकड़ा	8.36	54356
2	द्वितीय निंदाई						
	पौधों मे						
		6500	पौधे	1.00	सैकड़ा	6.69	43485
3	तृतीय निंदाई						
	पौधों मे						
		9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	6.69	60210
4	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी						
5	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1505.25	23331
		24	माह	26	प्रति माह दिवस	17394	417456
6	अन्य व्यय				योगः–		598839
		LS					11977
					योगः–		610815

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

योजना का सप्तम वर्ष 2031–32

मजदूरी दर 723 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधो में						
		9000	पौधे	1.25	सैकड़ा	9.04	81338
2	द्वितीय निंदाई						
	पौधो में						
		9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	7.23	65070
3	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी						
		15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1626.75	25215
4	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह						
		24	माह	26	प्रति माह दिवस	18798	451152
5	अन्य व्यय				योगः–		622774
		LS					12455
					कुल योगः–		635230

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

असिंचित

योजना का अष्ठम वर्ष 2032–33 मजदूरी दर 781 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधों मे	9000	पौधे	1.25	सैकड़ा	9.76	87863
2	द्वितीय निंदाई						
	पौधों मे	9000	पौधे	1.00	सैकड़ा	7.81	70290
3	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1757.25	27237
4	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	24	माह	26	प्रति माह दिवस	20306	487344
					योगः–		672734
5	अन्य व्यय	LS					13455
					कुल योगः–		686189

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

योजना का नवम वर्ष 2033–34 मजदूरी दर 843 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	9000	पौधे	1.25	सैकड़ा	10.54	94838
2	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	1896.75	29400
3	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	24	माह	26	प्रति माह दिवस	21918	526032
					योगः–		650269
4	अन्य व्यय	LS					13005
					कुल योगः–		663275

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

असिंचित

योजना का दशम वर्ष 2034–35 मजदूरी दर 910 असिंचित

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	2047.50	31736
2	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	24	माह	26	प्रति माह दिवस	23660	567840
	योगः–						599576
3	अन्य व्यय	LS					11992
	कुल योगः–						611568

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

योजना का ग्यारवा वर्ष 2035–36 मजदूरी दर 983

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	असिंचित राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आंतरिक अग्नि सुरक्षा कार्य						
	3 मीटर चौडी	15.500	कि.मी.	2.25	कि.मी.	2211.75	34282
2	सुरक्षा समिति द्वारा 02 श्रमिक 24 माह	24	माह	26	प्रति माह दिवस	25558	613392
	योगः–						647674
3	अन्य व्यय	LS					12953
	कुल योगः–						660628

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

Scanned with OKEN Scanner

उपचार का विवरण

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्याः– 9000
रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरणः– विवरण निम्नानुसार है।

Sno.	Common Name of Species	Botanical Name	The number of plants
1	Teak	Tectona Grandis	1800
2	Bamboo	Bamboosa Bamboos	1200
3	Neem	Azadirachta Indica	1000
4	Mango	Mangifera Indica	1000
5	Arjun	Terminalia Arjuna	800
6	Baheda	Terminalia bellirica	800
7	Karanj	Millettia pinnata	800
8	Bel	Aegle marmelos	800
9	Jamun	Syzygium Cumini	800
			9000

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग निर्माण लंबाई 18500 मीटर दक्षिण बालाघाट की 16.650 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक– (FP/MP/ROAD/155629/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति 6–एमपीआर 010/2023 वीचओ: 80854 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त – (3.5) के अनुपालन मे The User Agency shall submit road side Plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the user Agency.) के पालन में हट्टा (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम गुजरने वाले मार्ग के दोनों ओर रोड साईड प्लांटेशन स्कीम के तहत रोड साईड वृक्षारोपण हेतु भूमि न होने के कारण उसके बदले में वनक्षेत्र वन कक्ष क्र. पी 702 में रकबा 18.000 हे. में प्लांटेशन स्कीम

आवेदक :–म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र.

टीप :– रोड़ साईड प्लांटेशन हेतु अवश्यक स्थल चयन करते समय कोई भी उपयुक्त स्थल परिक्षेत्रांतर्गत नहीं मिलने के कारण वनक्षेत्र में 18 हेक्टेयर रोपण लिया गया है।

गोशवारा, आदर्श रोपण

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित राशि
1	प्रथम वर्ष 2025–26	2641369
2	द्वितीय वर्ष 2026–27	913091
3	तृतीय वर्ष 2027–28	859402
4	चतुर्थ वर्ष 2028–29	915546
5	पंचम वर्ष 2029–30	863965
6	षष्ठम वर्ष 2030–31	610815
7	सप्तम वर्ष 2031–32	635230
8	अष्टम वर्ष 2032–33	686189
9	नवम वर्ष 2033–34	663275
10	दशम वर्ष 2034–35	611568
11	ग्यारवा वर्ष 2035–36	660628
	कुल योग	10061076

A	1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत	0
	2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत	0
	3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4% प्रतिशत	0
	कुल योग –	10061076
	4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत	0
	महायोग –	10061076

वनमण्डल अधिकारी
दक्षिण (सा.) उपवनमण्डल

उपवनमण्डल अधिकारी
बालाघाट (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.) परिक्षेत्र

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

T.S.

Chief Conservator of Forest
Balaghat Circle (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

फैंसिंग कार्य

(असिंचित)

[illegible]ाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग [illegible] लंबाई 18500 मीटर दक्षिण बालाघाट की 16.650 हेक्टेयर वनभूमि [illegible]पवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक– (FP/MP/ROAD/155629/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति 6–एमपीआर 010/2023 वीचओ: 80854 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त – (3.5) के अनुपालन मे The User Agency shall submit road side Plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the user Agency.) के पालन में हट्टा (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम गुजरने वाले मार्ग के दोनों ओर रोड साईड प्लांटेशन स्कीम के तहत रोड साईड वृक्षारोपण हेतु भूमि न होने के कारण उसके बदले में वनक्षेत्र वन कक्ष क्र. पी 702 में रकबा 18.000 हे. प्लांटेशन स्कीम

आवेदक :–म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट म. प्र.

456.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (गा.दि.)		प्रति मात्रा की राशि	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
10	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची. 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 3mm चेनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही RCC पोल 2.5 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार 03 लाईनो मे भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। (1700 र.मी.)						
a	लगाये जाने वाले पोल की मात्रा	नग	1530				
b	बारबेट वायर क्रय	1530	KG	-	Per KG	66.00	100980
c	चेनलिंक फेंसिंग क्रय	3060	RM	-	Per RM	156.00	477360
d	चेनलिंक फेंसिंग हेतु RCC पोल क्रय (2.5 मी. के अंतराल में)	1530	Nos	-	Per Nos	300.00	459000
e	पोल्स फिटिंग सामग्री कुल आरसीसी कार्य 1:2:4 के अनुपात में		61.96	-			
f	सीमेन्ट	393	Bag	-	Per Bag	335	131655
g	रेत	27.880	CMT	-	Per CMT	1164	32452.32
h	गिट्टी(20mm)	54.520	CMT	-	Per CMT	1800	98136
i	यू खीला क्रय	0	KG		Per KG	100	0
j	पोल्स फिटिंग हेतु स्टेकिंग कार्य	1530		2.5	प्रति पोल्स	1.14	1744.2
k	पोल्स फिटिंग हेतु गडढा खुदाई कार्य	1530		3.8	प्रति पोल्स	17.328	26511.84
l	चेनलिंग फेंसिंग फिटिंग कार्य प्रति र0मी0	1700	प्रति मीटर	0.16	प्रति र0मी0	72.96	124032
m	बारबेट वायर फिटिंग कार्य प्रति र0मी0 तीन फेरो के लिये	1700	र0मी0	0.16	प्रति र0मी0	72.96	124032
	योग–						1575903
n	अन्य व्यय						31518
	योग–						1607421
	कुल योग–						1607421

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा सा0 परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम मार्ग निर्माण लंवाई 18500 मीटर दक्षिण बालाघाट की 16.650 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक– (FP/MP/ROAD/155629/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति 6–एमपीआर 010/2023 बीचओ 80854 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त – (3.5) के अनुपालन मे The User Agency shall submit road side Plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of the user Agency.) के पालन में हट्टा (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम गुजरने वाले मार्ग के दोनों ओर रोड साईड प्लांटेशन स्कीम के तहत रोड साईड वृक्षारोपण हेतु भूमि न होने के कारण उसके बदले में वनक्षेत्र वन कक्ष क्र. पी 702 में रकबा 18.000 हे. मे प्लांटेशन स्कीम

आवेदक :–म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र.

Year wise physical and financial target/outlay Breakup

S. N	Item of work	Rate in Rs.	2025-26 Phy	2025-26 Fin.	2026-27 Phy	2026-27 Fin.	2027-28 Phy.	2027-28 Fin.	2028-29 Phy	2028-29 Fin.	2029-30 Phy	2029-30 Fin.	2030-31 Phy	2030-31 Fin.	2031-32 Phy	2031-32 Fin.	2032-33 Phy.	2032-33 Fin.	2033-34 Phy.	2033-34 Fin.	2034-35 Phy.	2034-35 Fin.	2035-36 Phy.	2035-36 Fin.	Total Fin.
1	a) Advance Work		5.0	2641369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2641369
	b) Creation		0	0	5.0	913091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913091
	c) Maintenance I Year		0	0	0	0	5.0	859402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859402
	II Year		0	0	0	0	0	0	5.0	915546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915546
	III Year		0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	863965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863965
	IV Year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	610815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610815
	V Year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	635230	0	0	0	0	0	0	0	0	635230
	VI Year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	5.0	686189	0	0	0	0	0	0	686189
	VII Year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	663275	0	0	0	0	663275
	VIII Year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	611568	0	0	611568
	IX Year		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	660628	660628
	Total :-	0	5.0	2641369	5.0	913091	5.0	859402	5.0	915546	5.0	863965	5.0	610815	5.0	635230	5.0	686189	5.0	663275	5.0	611568	5.0	660628	10061076
2	प्रोजेक्ट पर आस्थामूलक कार्य 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	प्रोजेक्ट पर मानव संसाधन विकास कार्य 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रोजेक्ट पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य 4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total :-		5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grand Total :-			2641369	5	913091	5	859402	5	915546	5	863965	5	610815	5	635230	5	686189	5	663275	5	611568	5.0	660628	10061076
5	पर्यवेक्षण शुल्क 10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G Total :-			2641369		913091	5	859402	5	915546	5	863965	5	610815	5	635230	5	686189	5	663275	5	611568	5	660628	10061076

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमण्डल बालाघाट

उपवनमंडलाधिकारी
बालाघाट (सा0) उपवनमंडल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा सा. परिक्षेत्र

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

Scanned with OKEN Scanner

(लेण्टाना की उपलब्धता का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र हट्टा सामान्य के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोजक्ट मे वृक्षारोपण हेतु कक्ष क्रमांक पी 702 बीट सुसवा स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त वृक्षारोपण क्षेत्र में विरल क्षेत्र में लेण्टाना पाया गया जिसमे लेण्टाना उन्मुलन कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

परिक्षेत्र सहायक
हट्टा

बीटगार्ड के हस्ताक्षर

परिक्षेत्र सहायक हट्टा के हस्ताक्षर

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा सामान्य

Scanned with OKEN Scanner

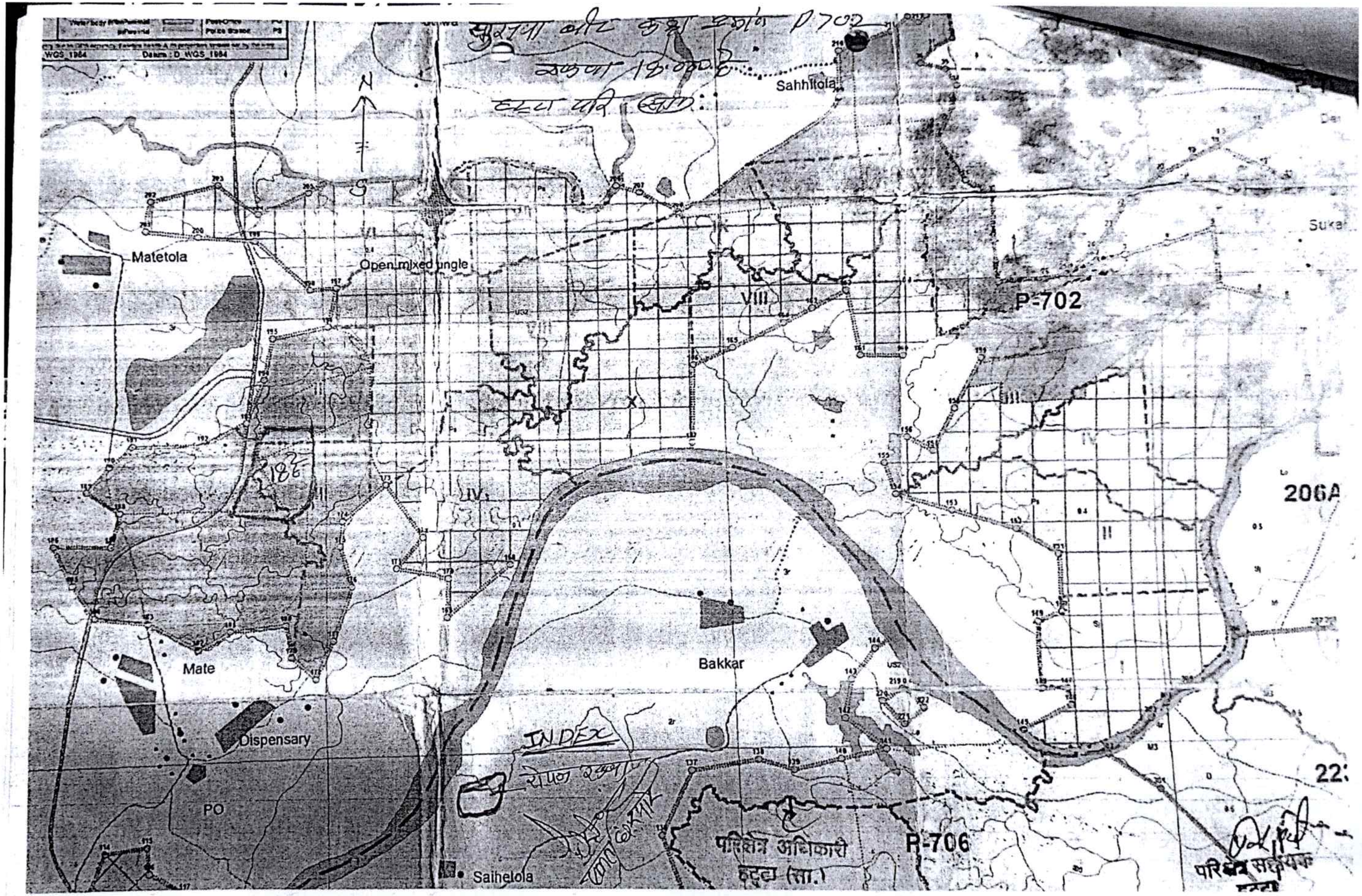

Scanned with OKEN Scanner

परिक्षेत्र अधिकारी
हट्टा (सा.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही प्रोसिडिंग फार्म

समिति का नाम वि.कु.स. पोर्थियाला परिक्षेत्र हट्टा वनमण्डल द० बालाघाट जिला- बालाघाट माह वर्ष

उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक में किया गया कार्य: विषय	बैठक में किया गया कार्य: संक्षेप में की गई कार्यवाही	बैठक में किया गया कार्य: पास हुए प्रस्ताव	अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर एवं अगूंठे का निशान
1	2	3	4	5
1) श्री सेवकराम उइके	RCPLWE के	आज दिनांक को 5 शरद को	प्रस्ताव सर्व सहमती से	[signature]
2) श्रीमलाबाई मरावी	तहत वृक्षारोपण	व.कु.स. पोर्थियाला की बैठक	पारित किया गया।	विमला
3) केशोबाई बिसेन	करने बाबत:	बैठक अध्यक्ष एवं समिती		केशोबाई
4) धनपाल खोबरागडे		के सदस्य की उपस्थिती		धनपाल
5) भुलाराम गौतम		में बैठक ली गई जिसमे		भुलाराम गौतम
6) रमकुला गेडाम		निम्न प्रस्ताव रखे गये।		रमकुला
7) भानुलाल टेकाम		1) RCPLWE के तहत जुलवा		भानुलाल टेकाम
8) दुलीचंद शरणागत		बीट कक्ष क्र. 702 कुल		दुलीचंद
		रकबा 18.000 हे. वृक्षारोपण		
		हेतु प्रस्ताव रखा गया।		

[signature] परिक्षेत्र [redacted] हट्टा

[signature] [signature]

परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा.)

[signature]

Scanned with OKEN Scanner

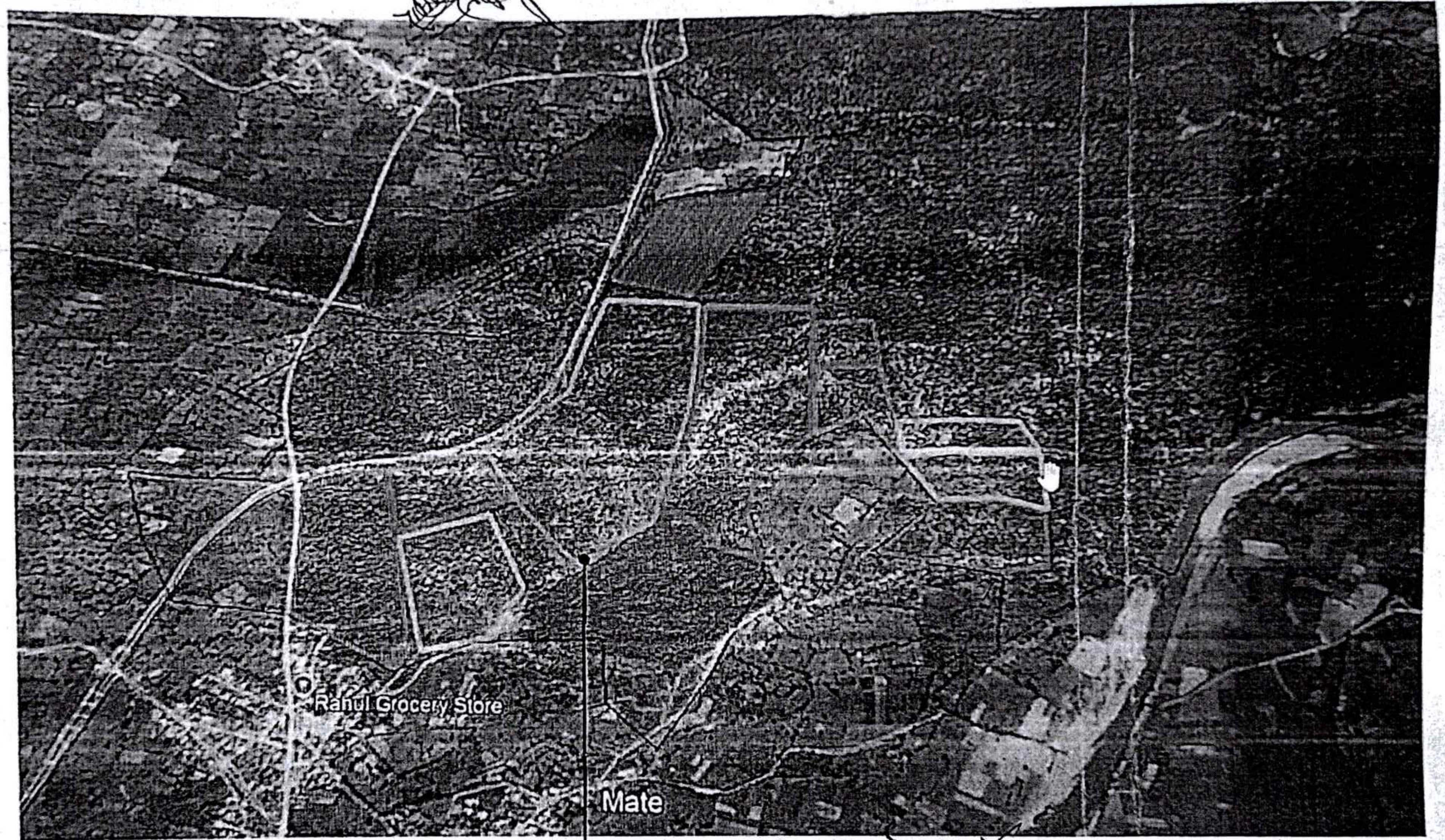

गोदादलखा से छोटी मुरजन
रकबा 702 18 हेक्टेयर

परिक्षेत्र सहायक

Scanned with OKEN Scanner